



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

### SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-6295/UP/114/2025-RU-IV

दिनांक: 02.03.2026

सेवा मे,

श्री अक्नीश राय  
जिलाधिकारी,  
जिला-बदायूं,  
कलक्ट्रेट परिसर,  
बदायूं, उत्तर प्रदेश 243601  
ई-मेल: dmbud@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सत्यापित कराने के संबंध में- श्री रोमेश मीना, पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह, तहसील-बिल्सी, जिला बदायूं का दिनांक 08.10.2025 का पत्र।

संदर्भ: एनसीएसटी नोटिस दिनांक 24.11.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

- डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **10.03.2026 को 14:10 Hrs** बजे सिटिंग / सुनवाई निर्धारित की है।
- तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

*(Handwritten Signature)*

(Y.P. Yadav/यो.प्र.यादव)  
निदेशक / Director

दूरभाष सं.: 011-24615012  
ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रोमेश मीना,  
पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह,  
तहसील-बिल्सी,  
जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश)  
romeshmeena2006@gmail.com  
Mobile No:9897856894

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NIC for uploading